



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.10.2025

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 04 लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड में 02 लुटेरे घायल, कब्जे से लूट का समस्त सामान व 02 तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 इलेक्ट्रिक ऑटो बरामद ।

दिनांक 26.10.25 को वादिया द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 तहरीर दी गयी कि ई ऑटो रिक्षा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसको हथियार दिखाकर डरा धमकाकर वादिया से पहने हुए सोने के कंगन व चूड़ी व सोने की चेन व मोबाइल फोन को छीन लेने के सम्बन्ध में दी गयी, उक्त सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र सफल अनवारण व घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया ।

आज दिनांक 27.10.2025 को समय करीब 06.30 बजे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा जल प्लांट रोड पर अपराध व अपराधियों के नियन्त्रण हेतु चेकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर खास ने सूचना दी कि उपरोक्त लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण रिछपाल गढी की पुलिया के पास नीले रंग के ई ऑटो में खड़े हैं जिसमें 3 से 4 व्यक्ति हैं, इस सूचना पर 01 पुलिस टीम रिछपाल गढी की पुलिया पर पहुंची तो पुलिस टीम को आता देख ई ऑटो चालक ने ऑटो को रिछपाल गढी की पुलिया से जल प्लांट अन्डर पास की तरफ दौड़ा दिया, ऑटो को पुलिस टीम द्वारा रुकने के लिए कहा परन्तु अभियुक्तो ने ऑटो नहीं रोका, बल्कि आटो को जल प्लांट रोड पर खाली मैदान की ओर मोड़ दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा पीछा कर घेर लिया और ऑटो में बैठे बदमाशो द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरा देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिये, जिसमे पुलिस टीम द्वारा अपनी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी तथा ऑटो में बैठे दो अभियुक्त (1) इरफान गाजी पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी आफताफ कालोनी मुस्तफा मस्जिद के पास डासना थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष (2) सादाब पुत्र अय्यूब निवासी यासीन गढी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष के पैरों में गोली लगी तथा उनके दो अन्य साथी (1) अमन गर्ग पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष (2) नाजिम खान पुत्र मौ0 इस्लाम निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को जो ऑटो से उतर कर भाग रहे थे को पुलिस टीम द्वारा भाग कर पकड़ लिया । पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्तो के कब्जे से 02 तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुए तथा सभी अभियुक्तो के कब्जे से लूट की घटना से सम्बन्धित लूट का समस्त सामान 04 चूड़ी पीली धातु व 02 कंगन पीली धातु व 01 चेन पीली धातु व 01 मोबाईल फोन व घटना मे प्रयुक्त नीले रंग का ई ऑटो बरामद हुआ । घायल अभियुक्तो को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल मे भर्ती करया गया एवं अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर माल बरामदगी व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व अवैध अस्लाह से सम्बन्धित धारा 109(1)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया गया कि यह ई ऑटो अमन का है अमन ऑटो चलाता है व नाजिम व इरफान गाजी सवारी बन कर ऑटो में बैठ जाते हैं तथा उम्र दराज महिला जो सोने चांदी के जेवरात पहने होती है उसे ऑटो में बैठा लेते हैं व हाईवे पर सूनसान जगह मिलते ही तमन्चा का डर दिखाकर ज्वेलरी लूट लेते हैं व ज्वेलरी को आपस में बांट लेते हैं उससे जो पैसे मिलते हैं आपनी जरूरत पूरी करते हैं इसी तरह की घटना दिनांक 23.10.25 को समय करीब 12.30 बजे दिन में अमन व नाजिम के गाँव कुशलिया की एक बुजुर्ग महिला जो अपने साथ अपनी पोती को लेकर गाजियाबाद जा रही थी से हमने उसे व उसकी पोती को तमन्चा दिखाकर जान से मारने का डर दिखाकर महिला से पहने गले की चैन, हाथ की 04 चूड़ी, 02 कडे व 01 मोबाइल फोन लूट लिया था व दोनों को ई ऑटो से उतारकर भाग गये थे हमने लूटे गये माल को बांट लिया था तथा आज फिर घटना करने की फिराक में थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

अभियुक्तों का नाम व पता

- (1) इरफान गाजी पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी आफताफ कालोनी मुस्तफा मस्जिद के पास डासना थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष (घायल)
- (2) सादाब पुत्र अययूब निवासी यासीन गढी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष (घायल)
- (3) अमन गर्ग पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष (ऑटो चालक)
- (4) नाजिम खान पुत्र मौ0 इस्लाम निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

02 तमन्चा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
लूट का सामान 04 चूड़ी पीली धातु व 02 कंगन पीली धातु व 01 चैन पीली धातु व 01 मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त ई ऑटो

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक लूट व हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं व अभियुक्त सादाब के विरुद्ध चोरी का 01 अभियोग जनपद बाराबंकी में पंजीकृत है तथा अभि0 इरफान गाजी व सादाब के विरुद्ध धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम